बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

''खाद्य भवन'', दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक सरंचना के पुनर्गठन के फलस्वरूप बिहार राज्य खाद्य निगम में लिपिक संवर्ग(भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)नियमावली–2018,सहायक प्रबंधक संवर्ग(भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली –2018,लेखापाल संवर्ग(भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)नियमावली–2018 एवं गुण नियंत्रक संवर्ग(भर्ती,प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)नियमावली–2018 तैयार किया गया है जिसे निगम निदेशक पर्षद के 152वीं बैठक दिनांक 8.3.18 मद सं0 152.7 एवं 153वीं बैठक 152.7.3 द्वारा अनुमोदन के पश्चात कार्यादेश सं0 9238, 9239, 9240, 9241 दिनांक 5.9.18 से उल्लेखित चारों संवर्ग(भर्ती,प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2018 की दिनांक 5.9.2018 के प्रभाव से लागू है।

नियमावली में सेवा सम्पुष्टि का प्रावधान निम्न प्रकार है–

''विभागीय परीक्षा एवं सेवा सम्पुष्टि–परीक्ष्यमान अवधि संतोषजनक पूरा करने,उत्तम आचरण निर्धारित प्रशिक्षण अवधि में पूरा करने और विभागीय परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करने पर सेवा सम्पुष्टि का प्रावधान है परन्तु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 में पूर्व से कोई नियमावली नहीं होने के कारण इन पदाधिकारी/कर्मियों की बिना सेवा सम्पुष्टि के वार्षिक वेतनवृद्धि,प्रोन्नति एवं अन्य सुविधाये प्राप्त होती रही है''।

वर्ष 2016 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को पूर्व से वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। सामान्यतः 2016 के पूर्व नियुक्त कर्मियों की सेवा अवधि 10 वर्षो से अधिक हो चुकी है।

उपर्युक्त स्थिति में वर्ष 2016 के पूर्व नियुक्त कर्मियों के सेवा सम्पुष्टि संबंधी प्रावधान को शिथिल किया जाता है।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

ज्ञापांक–3:02:263:01:15 1050 दिनांक – 09/10/18

प्रतिलिपि– मुख्य महाप्रबंधक,जन वितरण/अधिप्राप्ति/सतर्कता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक, निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बिहार तथा सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.10.18

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

Oct-18